न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्याः—208 / 2021 दायर दिनांकः—12.01.2021

जीसीएमएस नं. 2021 / 14

मन्नू पुत्र गिर्राज जाति जाटव निवासी कन्जोली का पुरा हिण्डौन तहसील हिण्डौन सिटी जिला—करौली राज0

———————प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित— 1 .श्री रामखिलाडी सैनी प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

दिनांक— 04.10.2024

निर्णय

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 1427 तथा पुराना खाता संख्या 1261 के अनुसार आराजीयात खसरा न0 7124 रकबा 0.01 है0, 7123 रकबा 0.03 है0, 7127 रकबा 0.53 है0, 7130 रकबा 0.37 है0, 7147 रकबा 0.02 है0, 7148 रकबा 0.04 है0, 7149 रकबा 0.03 है0, 7150 रकबा 0.01 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.04 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान में स्थित है। जिसमें वादी 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मन्नू के स्थान पर गज्जी दर्ज है।

वादी के पिता गिर्राज पुत्र गंगाधर जाति जाटव निवासी कंजोलीकापुरा हिण्डौन जिला करोली राज0 का देहांत दिनांक 16.09.1985 को हो गया था। पिताजी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के रूप में वादी की मां रूपवती व पुत्रगण मोहनलाल व वादी स्वयं मन्नू उनके तर्के पर काबिज व दाखिल रहे। तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी 1/18 भाग, स्वरूपी 1/18, मोहन लाल 1/18 भाग दर्ज हो गये।

राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम स[illegible] मन्नू के स्थान पर गज्जी पुत्र गिर्राज दर्ज हो गया है। वादी [illegible] भाई मोहनलाल की भी उम्र काफी कम थी। इसलिये उक्त गलत [illegible] वादी का ध्यान नहीं गया।

वादी का नाम उसके आधार कार्ड में मन्नू पुत्र गिर्राज दर्ज है, त[illegible] कार्ड व वोटर आईडी में वादी का नाम मन्नू पुत्र गिर्राज दर्ज है, तथा कक्षा 4 की अंकतालिका में वादी का नाम मन्नू दर्ज है, तथा कक्षा 5 की अंकतालिका में वादी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:38:12 IST
Reason: SelfAttested

का नाम मन्नू पुत्र गिर्राज दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलती से किसी ने गज्जी दर्ज करवा दिया जो कि गलत है।

वादी ने दिनांक 24.12.2020 को राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल निकलवाने पर पता चला कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गज्जी दर्ज है। जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम मन्नू पुत्र गिर्राज है। इसलिये राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गज्जी के स्थान पर मन्नू दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हो गया है। जिसमें किसी की कोई हकतलफी नहीं है।

वादी ने दिनांक 24.12.2020 को तहसीलदार हिण्डौन के यहा गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम में हुयी गलती को दुरस्त करवाने का निवेदन किया तो तहसीलदार हिण्डौन ने सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आने का कहा है।

दावा वादी विरूद्व प्रतिवादी बाबत इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार कर डिक्री किया जाकर आराजीयात मुतजिक्रा मद नं0 1 वाद पत्र ख0 नं0 7124, 7126, 7127, 7130, 7147, 7148, 7149, 7150 कुल किता 8 कुल रकबा 1.04 है0 वाके ग्राम हिण्डौन में वादी का नाम गज्जी पुत्र गिर्राज दर्ज हो गया है, उसे हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी का सही वास्तविक नाम मन्नू पुत्र गिर्राज दर्ज कर दिया जावे। तथा राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन के द्वारा जबाब न्यायालय हाजा मे दिनांक 31.08.2021 व 16.07.2024 को पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किये गये जो कि क्रमशः निम्नानुसार है:–

1.यह है कि मद नं01 स्वीकार है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में मन्नू के बजाय गज्जी दर्ज होने का साक्ष्य वादी स्वयं पेश करे।

2.यह है कि मद नं02 अस्वीकार है।

3.यह है कि मद नं0 3,4 वादी स्वयं सिद्ध करें।

4.यह है कि मद नं0 5 से 8 कानूनी बिन्दु है।

विविधः– यह है कि राजस्व ग्राम हिण्डोन ABCD में वादी के खसरा नं. 7124,2126,7127,7130,7147,7148,7149,7150 किता 8 रकबा 1.04 है0 में अपने हिस्से तक दर्ज गज्जी के बजाय मन्नू के साक्ष्य सबूत पेश करे तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

ततपश्चात प्रकरण में दिनांक 16.07.2024 को तहसीलदार हिण्डोन से पुनः जबाब प्राप्त हुआ जो निम्नानुसार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:38:12 IST
Reason: SelfAttested

1.यह है कि , वाद पत्र का मद नं0 1 आंशिक रूप से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। राजस्व रिकॉर्ड में गज्जी पुत्र गिर्राज दर्ज है।

2.यह है कि , वाद पत्र का मद नं0 2 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है।

3.यह है कि, वाद पत्र का मद नं0 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। वादी का नाम शुरू से ही राजस्व रिकॉर्ड में गज्जी पुत्र गिर्राज दर्ज रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रहा है तथा धारा 136 एलआरएक्ट के तहत वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम परिवर्तन कराने का अधिकारी नहीं है।

4.यह है कि, वाद पत्र का मद नं0 4 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

5.यह है कि, वाद पत्र का मद नं0 5 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। दिनांक 24.12.2020 की घटना कपोल कल्पित दर्ज की है।

6.यह है कि, वाद पत्र का मद नं0 6 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। दिनांक 28.12.2020 को वादी तहसीलदार हिण्डोन के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

7.यह है कि, वाद पत्र का मद नं0 8,9 कानूनी है।

8.यह है कि, वाद पत्र का मद नं 10 में चाही गई रिलीफ प्राप्त करने का वादी अधिकारी नहीं है।

विशेष विवरण— यह है कि, भू-अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डोन व पटवारी पटवार मण्डल हिण्डोन की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट के तहत वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम परिवर्तन कराने का अधिकारी नहीं है। वादी का वाद पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2071–74, अंकितालिका कक्षा –4 व 5 वीं की प्रति, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, नगरपालिका हिण्डोन के जन्म–मृत्यु के रजिस्टर कमांक 21 एवं नगरपरिषद् हिण्डोन का प्रमाण पत्र व पहचान पत्र की प्रति पेश की गई हैं।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। एवं पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में जबाब के बिन्दुओं को दौहराते हुऐ प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 1427 के खसरा नम्बर 7124 रकबा 0.01 है0,7126 रकबा 0.03 है0,7127 रकबा 0.53 है0,7130 रकबा 0.37 है0,7147 रकबा 0.02 है0, 7148 रकबा 0.04 है0, 7149 रकबा 0.03 है0, 7150 रकबा 0.01 है0, वाके ग्राम कस्बा हिण्डोन तहसील हिण्डोन में स्थित है। उक्त आराजीयात में प्रार्थी हिस्सा [illegible] काश्तकार है। एवं प्रार्थी के अंकितालिका कक्षा –4 व 5 वीं की प्रति, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, नगरपालिका हिण्डोन के जन्म–मृत्यु के रजिस्टर कमांक 21 एवं नगरपरिषद् हिण्डोन का प्रमाण पत्र व पहचान पत्र तथा तहसीलदार हिण्डौन की रिपोर्ट दिनांक 31.08.2021 व 16.07.2024 का अवलोकन करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तहसीलदार हिण्डौन की रिपोर्ट दिनांक 31.08.2021 व 16.07.2024 में उक्त दुरूस्ती के संबंध में भिन्न–भिन्न तथ्य रहने के कारण, प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अपने वाद पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:38:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

को साबित करने हेतु उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर यथा अंकितालिका कक्षा –4 व 5 वीं की प्रति, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, नगरपालिका हिण्डोन के जन्म–मृत्यु के रजिस्टर क्रमांक 21 एवं नगरपरिषद हिण्डोन का प्रमाण पत्र व पहचान पत्र, के अवलोकन से यह तथ्य पूर्ण रूपेण साबित है कि नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 1427 के खसरा नम्बर 7124 रकबा 0.01 है0,7126 रकबा 0.03 है0,7127 रकबा 0.53 है0,7130 रकबा 0.37 है0,7147 रकबा 0.02 है0, 7148 रकबा 0.04 है0, 7149 रकबा 0.03 है0,7150 रकबा 0.01 है0, वाके ग्राम कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डोन में प्रार्थी का नाम गज्जी के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में मन्नू पुत्र गिर्राज जिसे प्रार्थी के हक में दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 1427 के खसरा नम्बर 7124 रकबा 0.01 है0,7126 रकबा 0.03 है0,7127 रकबा 0.53 है0,7130 रकबा 0.37 है0,7147 रकबा 0.02 है0, 7148 रकबा 0.04 है0, 7149 रकबा 0.03 है0,7150 रकबा 0.01 है0, वाके ग्राम कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डोन में प्रार्थी का नाम नाम गज्जी के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में मन्नू पुत्र गिर्राज जाति जाटव निवासी कन्जौली का पुरा तहसील हिण्डोन किया जाता है, साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरूस्ती का अमल करने हेतु पृथक से तहसीलदार हिण्डौन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

4/10/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:38:12 IST
Reason: SelfAttested